भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2975

उत्तर देने की तारीख 12.12.2024

एमएसएमई और एफपीओ योजनाएं

2975. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) योजनाओं और उन्हें समर्थन देने के लिए की गई विशेष पहलों से लाभान्वित महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की संख्या कितनी है;

(ख) उचित मूल्य और टिकाऊ व्यापार मॉडल सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई और एफपीओ के बीच एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला कनेक्टिविटी स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान एफपीओ को प्राप्त कुल एफडीआई सहित एफपीओ में एफडीआई आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम/ओ एमएसएमई) तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से संबंधित स्कीमों से लाभान्वित महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की संख्या तथा उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए की गई विशेष पहलों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एफपीओ को बीज, कीटनाशक और उर्वरक लाइसेंस प्राप्त करने तथा कृषि इनपुट कंपनियों के माध्यम से डीलरशिप प्रदान करने में सहायता करता है। इस सहायता से एफपीओ डीलर/वितरक के रूप में कार्य करने और आय सृजित करने में सक्षम होते हैं। यह मंत्रालय भी एफपीओ को संस्थागत खरीदारों से जोड़कर तथा ओएनडीसी, ई-नाम आदि जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता करता है।

(ग): "10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन स्कीम" के अंतर्गत गठित एफपीओ में कोई एफडीआई प्राप्त नहीं हुआ है।

****

अनुबंध-I

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2975 के भाग (क) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध

एमएसएमई मंत्रालय महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) उद्यमियों को गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% (विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये) मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करके उनके स्थान पर ही रोजगार के अवसर प्रदान करना है। तथापि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों जैसी श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का भी कार्यान्वयन करता है। सभी पात्र कार्यकलापों के लिए बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और तीसरे पक्ष की गारंटी के एमएसई को उनके द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थानों को ऋण गारंटी प्रदान की जाती है।

इन स्कीमों से लाभान्वित महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या नीचे दी गई है:

स्कीम	वर्ष	लाभान्वित उद्यमियों की सं.		
		महिला	अ. जा.	अ. ज. जा.
पीएमईजीपी	वि.व. 2022-23	3,2626	9,142	4,850
	वि.व. 2023-24	36,806	10,364	4,681
	वि.व. 2024-25	10,703	5,001	2,798
सीजीटीएमएसई	वि.व. 2022-23	3,65,582	70,812	21,849
	वि.व. 2023-24	4,25,865	1,01,863	27,926
	वि.व. 2024-25	3,01,164	68,198	19,936

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की '10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन' स्कीम के अंतर्गत 9,411 एफपीओ का गठन किया गया है, जिसमें 26.17 लाख लाभार्थी किसान शामिल हैं। इनमें से 9.72 लाख महिला किसान, 3.72 लाख अनुसूचित जनजाति किसान, 2.89 लाख अनुसूचित जाति किसान और 11.79 अन्य पिछड़ा वर्ग किसान हैं। एफपीओ को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, बाजार और ऋण लिंकेज के अलावा एफपीओ प्रबंधन लागत, इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी सुविधा के रूप में धन उपलब्ध कराया जाता है।